

नलकूप खण्ड रायबरेली

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में
16 बिन्दुओं पर आख्या

क्र०	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	नलकूप मध्य के अन्तर्गत मुख्या अभियन्ता (नलकूप मध्य) सिचाई विभाग उ०प्र० लखनऊ के अधीन है, खण्ड के अन्तर्गत नलकूपों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्यों का रख रखाव का कार्य किया जाता है। उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु इस खण्ड में चार उपखण्डीय कार्यालय कार्यशील है जिनमें प्रथम उपखण्ड का मुख्यालय लालगंज एवं द्वितीय उपखण्ड का मुख्यालय सलोन तथा उपखण्ड तृतीय एवं चतुर्थ का मुख्यालय रायबरेली में स्थित है। खण्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान शासन द्वारा आवंटित बजट से होता है तथा बजट के सापेक्ष वेतन आहरण रायबरेली कोषागार से किया जाता है।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	
	1- अधिशासी अभियन्ता 2- सहायक अभियन्ता 1/2/3/4 3- नलकूप मिस्त्री 3- खण्डीय लेखाधिकारी 4- अवर अभियन्ता 5- अनुसचिवीय अधिष्ठान 6- राजस्व अधिष्ठान 7- ड्राइंग स्टाफ 8- चतुर्थ श्रेणी	खण्ड के अन्तर्गत उपखण्डों के समस्त कार्यों का नियंत्रण। उपखण्ड के अन्तर्गत आवंटित कार्यों का सम्पादन। विद्युत मोटरों के लोवर लिफ्टिंग कार्य सम्पादन। वित्तीय हस्तपुस्तिका का खण्ड-6 के पैरा 98 में निहित मुख्यतः लेखा का संग्रहकर्ता तथा बाउचर्स इत्यादि की जाचकर्ता एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यों का सम्पादन। कार्यस्थल पर कार्यों को मानको एवं गुणवत्ता के साथ कराना। कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रख-रखाव। राजस्व सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन। ड्राइंग सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन। अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तर दायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	उपखण्ड में करायें गये कार्यों का निरीक्षण तथा कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना/कराना।

4	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्यवं द्वारा स्थापित मापमान।	जनपद में लगे राजकीय नलकूपों के द्वारा कृषकों को सिंचाई उपलब्ध कराना एवं कृषकों के समस्याओं का समाधान करना तथा उपखण्डीय अधिकारियों को कृषकों की समस्याओं का निराकरण हेतु निर्देशित कर निराकरण करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारी द्वारा कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यों के सम्पादन के लिए विभाग का मैनुअल है वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता / मू0अ0ग0 / अधि0अभि0 द्वारा जारी शासनादेशों / आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखण्डीय अधिकारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना। कार्यों का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्टियों एवं लागू निर्णय नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यों लागू निर्णय नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यों के अभिलेखों का रखरखाव नियमों के अनुसार किया जाना तथा अधीनस्थ सहा0अभियन्ताओं को तदानुसार निर्देशित करना।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल में निर्धारित अभिलेखों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये प्राविधान के अनुसार कराया जाना।
7	किसी ब्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी निति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	शून्य
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक ब्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिए बठन किया गया है की क्या उन बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	जनपद स्तर पर होने वाली समस्त गोष्ठियों से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

9	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका।	कार्यालय दूरभाष 0535-27629 नलकूप खण्ड रायबरेली। आवासी दूरभाष - शून्य
---	--	---

10	अपने प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के आधार पर है।			
		पद	वेतनमान	पद	वेतनमान
		अधि0अभि0	15600-39100	रनर / चपरासी /	4440-7440
		सहा0अभि0	15600-39100	चौकीदार / माली	
		अवर अभि0	9300-34800	पानीवाला	
		लेखाधिकारी	9300-34800		
		वरिष्ठ सहायक	5200-20200		
		प्रारूपकार	5200-20200		
		वरिष्ठ लिपिक	5200-20200		
		कनिष्ठ लिपिक	5200-20200		
		चालक	5200-20200		
		जिलेदार	5200-20200		
		मुन्शी / सीचपाल	5200-20200		
		/ आपरेटर	5200-20200		
		विद्युतकार	4440-7440		

11	सभी योजनाओं प्रस्तावित ब्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभीकरण को आवंटित बजट	अनुदान सख्या 95 के अर्न्तगत वेतन, महगाई भत्ता, अन्य भत्ते यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय विद्युत, दूरभाष गाडियों का अनुरक्षण आदि मदो मे प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय मे तैनात वित्त नियन्त्रक द्वारा बजट आवटित होता है / नलकूपो के अनूरक्षण (ग) मरम्मत आदि के लिये वित्तीय अनुरक्षण एवं मरम्मत आदि अनुदान सं0 96 के अर्न्तगत बजट आवंटित होता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि ऐसे कार्यक्रम के फायदा ग्राहयों के ब्यौरे सम्मिलित है।	इस तरह से कोई व्यवस्था विभाग मे नही है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती अनुज्ञा-पत्रो या प्रधिकारोंके प्राप्तिकर्ताआओं की विशिष्टियां।	-----तदैव-----
14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसको धारित हो।	विभाग मे कम्प्यूटर, फैक्स मशीन उपलब्ध है। इन्टरनेट अभी चलने की स्थिति में नही है।

15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपभोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।	भारत का कोई भी नगरिक वांछित सूचना कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	<p>सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नलकूप खण्ड रायबरेली में जन सूचना अधिकारी निम्न प्रकार नामित हैं।</p> <p>(1) श्री वी० एन० सिंह अधिशायी अभियन्ता अपीलीय अधिकारी नलकूप खण्ड रायबरेली</p> <p>(2) श्री जय प्रकाश सहायक अभियन्ता तृतीय जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड रायबरेली</p> <p>(3) श्री निसार अहमद वरिष्ठ लिपिक सहायक जनसूचना अधिकारी नलकूप खण्ड रायबरेली</p>

अधिशायी अभियन्ता
नलकूप खण्ड रायबरेली

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

नलकूप खण्ड रायबरेली

पत्रांक / न०ख०रा० / जनसूचना अधिकार / दिनांक

विषय:— जनसूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत श्री हरपाल सिंह 3/6
कैनाल कालोनी हैवलक रोड लखनऊ को सूचना उपलब्ध कराने
के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल लखनऊ।

उपरोक्त विषय अपने पत्रांक 554/न०म०ल० सू०अ०/दिनांक 25-1-2010
का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त विषयक सूचना सी०डी०एवं हार्ड कापी में तैयार कर
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक - सी०डी०एवं
हार्ड कापी

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड रायबरेली